निदेशालय,बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार,उ0प्र0,लखनऊ।

पत्र सं0 1849 /बा0वि0परि0/स्था0–4/2016–17 **दिनांक** 09 नवम्बर,2016

समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी/प्रभारी
उत्तर प्रदेश।

विषयः–वर्ष 2016–17 हेतु रानी लक्ष्मीबाई वीरता पुरस्कार के लिये प्रस्तावित एवार्डीज़ की सूची (नामांकन) उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उर्पयुक्त विषयक महिला एवं बाल विकास अनुभाग–2 उ0प्र0 शासन ने पत्र सं0–3465 /60–2–16–2/1(96)/16 दिनांक 27.10.2016 के साथ प्रमुख सचिव, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार,उ0प्र0 तथा अन्य विभागों के प्रमुख सचिवों को सम्बोधित महिला एवं बाल विकास अनुभाग–3 उ0प्र0 शासन के पत्र सं0–983 (1)/60–3–16–6(4)/14 दिनांक 19.10.2016 की प्रति संलग्न करते हुए प्रदेश की महिलाओं/बालिकाओं को रानी लक्ष्मीबाई वीरता पुरस्कार से सम्मानित किये जाने हेतु वर्ष 2016–17 में बहादुरी का कार्य करने वाली तथा खेल के क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धि प्राप्त करने वाली 20 बालिकाओं/महिलाओं को तथा उत्कृष्ट कार्य करने वाली 100 महिला प्रधानों को रानी लक्ष्मीबाई वीरता पुरस्कार से सम्मानित किये जाने हेतु विभाग से संबंधित एवार्डीज़ की सूची (नामांकन) तथा उपलब्धियों का संक्षिप्त विवरण 02 फोटोग्राफ सहित उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये है।

शासन द्वारा निर्गत गाईड लाईन के अनुसार ऐसी 02 आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को यह पुरस्कार दिया जायेगा जिनके द्वारा महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया गया हो।

अतः निर्देशित किया जाता है कि निर्धारित गाईड लाईन/प्रारूप पर नामों की सूची दिनांक 15.11.2016 तक प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्न–गाईड लाईन

9/11/16
(आर0एस0एन0 यादव)
अपर निदेशक (प्रशासन)

पृष्ठांकन सं0– /तद्दिनांक

प्रतिलिपिः– उप सचिव,महिला एवं बाल विकास अनुभाग–2 उ0प्र0 शासन को पत्र सं0–3465/60–2–16–2/1(96)/16 दिनांक 27.10.2016 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(आर0एस0एन0 यादव)
अपर निदेशक (प्रशासन)

रानी लक्ष्मीबाई वीरता पुरस्कार की पात्रता हेतु चयन की प्रक्रिया एवं मार्गदर्शक सिद्धान्त

मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 19.11.2014 को की गयी घोषणा के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष प्रदेश की महिलाओं/बालिकाओं को रानी लक्ष्मीबाई वीरता पुरस्कार से सम्मानित किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस घोषणा के अंतर्गत बहादुरी के कार्य करने वाली तथा खेल के क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धि प्राप्त करने वाली 20 बालिकाओं/महिलाओं को और उत्कृष्ट कार्य करने वाली 20 महिला ग्राम प्रधानों को प्रतिवर्ष 1.00 लाख रूपये से सम्मानित किया जायेगा। पात्र बालिकाओं/महिलाओं को इस पुरस्कार से प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 08 मार्च को लखनऊ में सम्मानित किया जायेगा।

2 महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के अंतर्गत विधवाओं के पुनर्विवाह, बाल विवाह रोकना, दहेज उत्पीडन के विरूद्ध आवाज उठाना, महिलाओं एवं बालिकाओं के विरूद्ध हिंसा को रोकने, भ्रूण हत्या को रोकने, महिलाओं को शिक्षित करने, महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने आदि उल्लेखनीय हैं।

3 यह पुरस्कार सरकारी अथवा गैर सरकारी किसी महिला को उल्लेखनीय वीरता/बहादुरी तथा अदम्य साहस के कार्य हेतु दिया जायेगा। महिला/बालिका को पुरस्कार का पात्र होने के हेतु उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है। संबंधित वर्ष में 01 जनवरी को कम से कम 10 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाली बालिका/महिला इस पुरस्कार के लिये पात्र होगी। पुरस्कार मरणोपरान्त भी दिया जा सकता है। एक व्यक्ति (बालिका/महिला) को एक ही बार पुरस्कृत किया जायेगा।

4 रानी लक्ष्मीबाई वीरता पुरस्कार निम्नानुसार चिन्हित क्षेत्रों में दिया जायेगा:-

1- पंचायती राज विभाग द्वारा संचालित की जा रही योजनाओं के क्रियान्वयन में सक्रिय भूमिका के साथ उल्लेखनीय योगदान करने वाली 20 महिला प्रधानों को रानी लक्ष्मीबाई वीरता पुरस्कार दिया जायेगा।

2(क)- गृह विभाग से रानी लक्ष्मीबाई वीरता पुरस्कार सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत उच्च कोटि के शौर्य तथा पराक्रम के कार्य करने वाली 02 महिलाओं (उप निरीक्षक/हेड कांसटेबिल) को प्रदान किया जायेगा।

2(ख)– सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत 08 बालिकाओं/महिलाओं को रानी लक्ष्मीबाई वीरता पुरस्कार बहादुरी के निम्नलिखित कार्यों हेतु दिया जायगा–

(1) जिसने आत्म रक्षा हेतु वीरतापूर्वक कार्य किया हो।

(2) जिसके द्वारा किसी व्यक्ति की जीवन रक्षा हेतु अदम्य साहस एवं वीरतापूर्वक कार्य किया हो।

3– यह पुरस्कार चिकित्सा विभाग से 03 महिला कार्मिकों/संगठन को निम्नांकित क्षेत्रों में निम्नलिखित कार्य हेतु दिया जायेगा–

(1) महिला चिकित्सकों जिन्होंने भ्रूण हत्या रोकने के लिये विशिष्ट प्रयास किये हों।

(2) आशा बहू जिनके द्वारा महिलाओं की सेवा सुश्रुषा, प्रसव, भ्रूण हत्या रोकने, महिला सशक्तिकरण हेतु प्रयास करने संबंधी कार्यों में विशेष योगदान/सहभागिता प्रदान की गयी हो।

(3) महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में विशिष्ट कार्य करने वाली संस्था/व्यक्ति।

4– बेसिक शिक्षा विभाग से ऐसी 01 शिक्षिका को रानी लक्ष्मीबाई वीरता पुरस्कार प्रदान किया जायेगा, जिसने अध्यापन कार्य के साथ–साथ महिला सशक्तिकरण के परिप्रेक्ष्य में उत्कृष्ट कार्य किया हो।

5– ग्राम्य विकास विभाग में संचालित स्वयं सेवा समूह के अंतर्गत उल्लेखनीय कार्य करने वाली 01 महिला को यह पुरस्कार दिया जायेगा, जिसके द्वारा कम से कम 05 वर्ष की अवधि तक स्वयं सेवा समूह का संचालन किया गया हो तथा स्वरोज़गार के अवसर उपलब्ध कराने एवं समाज की मुख्य धारा में जोड़ने हेतु विशिष्ट कार्य किये गये हों।

6– बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार निदेशालय के अंतर्गत कार्यरत ऐसी 02 आंगनबाड़ी कार्यकत्री को यह पुरस्कार दिया जायेगा, जिनके द्वारा महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया गया हो।

7– महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित राजकीय गृहों में निवासरत विलक्षण प्रतिभा की धनी/विशिष्ट उपलब्धि/उत्कृष्ट कार्य करने वाली 03 संवासिनी बालिकाओं को यह पुरस्कार दिया जायेगा।

5 प्रत्येक पुरस्कार के अन्तर्गत पात्र बालिका/महिला को एक लाख रूपया तथा प्रशस्ति पत्र दिया जायेगा। पुरस्कार प्राप्त करने वाली बालिकाओं/महिलाओं के साथ आने वाले एक व्यक्ति सहित उनको आने–जाने का नियमानुसार यात्रा भत्ता राज्य सरकार द्वारा दिया जायेगा।

6. जिला संचालन समिति द्वारा उक्त पुरस्कार हेतु नामांकन के लिये पात्र व्यक्तियों की संस्तुति निर्धारित प्रोफार्मा पर प्रेषित की जायेगी।

7. राज्य स्तरीय समिति अपने विवेक से ऐसी बालिका/महिला को भी पुरस्कार हेतु नामांकित कर सकती है जिसके संबंध में जिला संचालन समिति/विभाग द्वारा संस्तुति न की गयी हो।

8. चयन प्रकिया के अंतर्गत विभिन्न चरणों की समय सीमा (अंतिम तिथि) निम्नवत् है–

कार्य	अंतिम तिथि
महिला कल्याण विभाग द्वारा विज्ञापन के माध्यम से प्रचार प्रसार	30 सितम्बर
जिला संचालन समिति के द्वारा श्रेणीगत तीन गुने पात्र व्यक्तियों के नाम संबंधित विभागों को अग्रसारित करना	20 अक्टूबर
संबंधित विभाग द्वारा निर्दिष्ट श्रेणी में अंकित अवार्डीज की संख्या के दो गुने नामों को नामांकन हेतु महिला कल्याण विभाग को उपलब्ध कराना।	30 नवम्बर
प्रोसेसिंग और स्क्रूटिनी का कम्प्लीशन	31 दिसम्बर
अंतिम चयन हेतु राज्य अनुश्रवण समिति की संस्तुति प्राप्त किया जाना	30 जनवरी
राज्य अनुश्रवण समिति की संस्तुति पर मा0 मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त किया जाना	15 फरवरी
पुरस्कार समारोह	8 मार्च

प्रोफार्मा

जिला संचालन समिति द्वारा संस्तुति

1. पुरस्कार हेतु संस्तुत अभ्यर्थी का नाम–

अद्यतन फोटो चस्पा किया जाये

(02 अद्यतन फोटाग्राफ पृथक से संलग्न किया जाये)

2. कार्य का क्षेत्र–

3. उपलब्धि का विवरण–

(01 पृष्ठ का राइटअप संलग्न किया जाये)

4. बालिकाओं / महिलाओं के उत्थान हेतु किया गया योगदान–

5. अभ्यर्थी द्वारा निष्पादित कार्य क्या रानी लक्ष्मीबाई वीरता पुरस्कार के संदर्भ में असाधारण है–

6. अभ्यर्थी का प्रोफाइल (जन्मतिथि, माता–पिता का नाम, पता, बैंक एकाउन्ट नं0, शाखा, आई0एफ0एस0सी0 कोड)–

7. जिलाधिकारी की अभियुक्ति–

(जिलाधिकारी के हस्ताक्षर)